RAJASTHAN HIGH COURT

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Writ Petition No. 10423/2026
URN: CW / 23101U / 2026

1. Shailesh Mehta, S/o Shri Ram Ratan Mehta, Aged About 46 Years, R/o - 10/88, Ratnalya, College Road, Baran, Rajasthan.
2. Pramod Kumar Sharma, S/o Radhey Lal Sharma, Aged About 46 Years, R/o - Haat Chowk, Atru, District Baran, Rajasthan.

----Petitioners

Versus

1. State Of Rajasthan, Through Additional Chief Secretary, Department Of Child Rights, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005.
2. Commissioner And Member Secretary, Directorate, Department For Child Rights, 20/ 198, Kaveri Path, Manasarovar, Jaipur (Raj.) - 302020.
3. Additional Director Cum Deputy Secretary, Directorate, Department For Child Rights, 20/ 198, Kaveri Path, Manasarovar, Jaipur (Raj.) - 302020.
4. Assistant Director, District Child Protection Unit And Department For Child Rights, Mini Secretariat Campus, Krishna Nagar, Baran (Raj.) - 325205.

----Respondents

For Petitioner(s)	:	Mr. Abhishek B. Sharma
For Respondent(s)	:	Ms. Pooja Sharma, Mr. Vishal Kumar for Mr. Manoj Sharma, AAG Mr. Akash Gaur

---

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

08/07/2026

RAJASTHAN HIGH COURT

याचीगण शैलेश मेहता व प्रमोद कुमार शर्मा की ओर से यह याचिका अयाचीगण द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) बारां हेतु लिये जा रहे साक्षात्कार में स्वयं को क्रमशः अध्यक्ष व सदस्य के पद हेतु शामिल किये जाने हेतु प्रस्तुत की गई है।

अयाचीगण की ओर से अधिवक्ता पूजा शर्मा, विशाल कुमार, आकाश गौड़ अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अयाचीगण को नोटिस जारी किये जावें।

अयाचीगण की ओर से अधिवक्ता श्रीमती पूजा शर्मा, श्री विशाल कुमार, श्री आकाश गौड़ अग्रिम नोटिस पर उपस्थित हैं, जिन्हें औपचारिक नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

याची अधिवक्ता ने अन्तरिम आदेश की प्रार्थना की।

सुना गया।

याची अधिवक्ता का तर्क है कि वर्ष 2023 में बाल अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा बाल कल्याण समिति (CWC) बारां के अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु विज्ञप्ति दिनांक 31.03.2023 एवं 10.05.2023 को जारी की गई थी, जिसके पश्चात् पुनः दिनांक 31.01.2024 को बाल अधिकारिता विभाग द्वारा नई विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें यह अंकन किया गया कि ''पूर्व में जिन आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था, उन्हें नये सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।'' वर्ष 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में याची **शैलेष मेहता** ने **अध्यक्ष** पद हेतु तथा याची **प्रमोद कुमार शर्मा** ने **सदस्य** पद हेतु आवेदन किया था, जो आवेदन पत्र याचिका के साथ संलग्न है। उनका तर्क है कि वे उक्त पदों हेतु पात्रता रखते हैं। याचीगण द्वारा क्रमशः अध्यक्ष व सदस्य पद हेतु आवेदन किये जाने के पश्चात् भी अयाचीगण (चयन समिति) द्वारा याचीगण को साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाया गया है तथा साक्षात्कार हेतु जिन अभ्यर्थियों को बुलाया जाना है, उनकी सूची जारी की गई है, जिस सूची में याचीगण का नाम अंकित नहीं है। उनका तर्क है कि अयाचीगण द्वारा बाल कल्याण समिति, बारां जिले हेतु साक्षात्कार दिनांक 09.07.2026 को लिये जाने हैं तथा यदि उक्त तिथि को साक्षात्कार आयोजित हो जाते हैं, तो याचीगण की यह याचिका निष्फल हो जायेगी। अतः याचीगण को साक्षात्कार हेतु शामिल किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

अयाचीगण–विभाग की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण ने प्रकट किया कि अभी उन्हें पूर्ण निर्देश प्राप्त करने हैं, परन्तु प्रथम दृष्टया उन्हें बताया गया है कि उक्त दोनों याचीगण/अभ्यर्थियों के दस्तावेज पूर्ण नहीं थे अर्थात् वे पात्र नहीं थे, इस कारण उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है।

सुना गया।

प्रकरण के तथ्यों–परिस्थितियों को देखते हुए इस आशय का अन्तरिम आदेश पारित किया जाता है कि यदि तत्समय (दिनांक 31.03.2023 एवं 10.05.2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में) याचीगण अपने–अपने पद हेतु वांछित पात्रता रखते हैं, तो अयाचीगण बाल कल्याण समिति (CWC) बारां हेतु दिनांक 09.07.2026 को आयोजित साक्षात्कार में याचीगण को शामिल करें। साक्षात्कार के उद्धेश्य से यह अनुमति अनन्तिम (provisional) है। याचीगण के इस सम्बन्ध में अधिकार इस रिट याचिका के अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

प्रकरण तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जावे।

(SHUBHA MEHTA),J

116/VISHAL SHARMA